ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
Volume 4 | Issue 3 | March 2026
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v4i3.250

प्राचीन भारत में गणराज्य

फूलचन्द
शोधार्थी (प्राचीन इतिहास) बयालसी पी0जी0 कालेज जलालपुर जौनपुर, उ0प्र0
Email: pcmson71@gmail.com

सारांश

प्राचीन भारत में गणराज्यों को गण या संघ के नाम से जाना जाता था। गण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार तथा अथर्ववेद में 09 बार आता है। जे0पी0 शर्मा महोदय का विचार हैं कि कुछ जनों में गणराज्यात्मक व्यवस्था भी प्रचलित थी। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, जबकि गणतंत्र में राज्यों का शासन न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। वहीं गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। न कि कोई एक व्यक्ति/ राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का एकमात्र दावेदार राजा होता था, यहाँ एक नियमित एवं केन्द्रीकृत सेना होती थी। जबकि गणतंत्र में राजा अपनी-अपनी छोटी सेना रखता था। राजतंत्र में ब्राह्मणों का प्रशासन छोटी सेना रखता था। राजतंत्र में ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गणतंत्र में ऐसा नहीं था।

मुख्य शब्द- *गणतंत्रगण, राजतंत्र, गणराज्य समिति, संस्थागार, आसनपन्नायक, अताकुलक, मन्त्रिपरिषद, पवेनिपोट्ठक, नगरगुत्तिक।*

प्रस्तावना

कई लेखकों का विचार हैं कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र थे और गणराज्य नहीं थे। उनके अनुसार मालव–गण और यौधेय–गण गणतन्त्र राज्य नहीं थे परन्तु मालवों और यौधेयों की जातियॉ थी। डॉ0ए0एस0 अल्टेकर इस मत को नहीं मानता। उसका विचार है कि यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि मालव और यौधेय जातियां थी परन्तु उनकी शासन पद्धति गणराज्य की तरह थी। गणराज्य राजतन्त्र से भिन्न था। उसने दो उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे। भारत के कई भागों से यौधेय, मालव और अर्जुनायन गणराज्यों के सिक्के मिले है। वे सिक्के गणराज्यों के आदेश से जारी किये गये थे। पोरस ने सिकन्दर का अधिपत्य मानने के बाद बहुत से लोगों को पराजित किया जिनकी शासन–पद्धति गणतन्त्र थी। डॉ0 अल्टेकर का ऐसा विचार है कि प्राचीन भारत के गणराज्य वैसे ही थे जैसे एथन्ज, स्पार्टा और वीनस के थे।[1]

प्राचीन भारत में गणराज्य का स्वरूप एवं विकास

सर्वप्रथम रीजडेविस ने सन् 1903ई. में पुस्तक 'बुद्धिष्ट इण्डिया' में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए प्राचीन भारत के गणराज्यों की खोज की। तत्पश्चात् 1924ई. में राष्ट्रवादी इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने पुस्तक 'हिन्दू पॉलिटी' में प्राचीन गणराज्यों के अस्तित्व को सिद्ध किया।' पाणिनी की अष्टाध्यायी व बौद्धग्रन्थ 'मज्झिम निकाय' में संघ व गण को समानार्थक शब्द माना गया है। आरम्भ में मोनियर विलियम्स ने गण का अनुवाद 'कबीला' के रूप में किया। अवदान शतक में सर्वप्रथम गणतंत्र को राजतंत्र से पृथक दिखाया गया है। पाणिनी ने भी 'क्षतियादंक राजात संघ प्रतिषेधार्धम' कहकर गणराज्यों को राजतंत्र से पृथक माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख है:–

1. वार्ताशस्त्रोपजीवी (कम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणी)
2. राजशब्दोपजीवी (लिच्छवी, वृज्जि, मल्ल, कुकुर, पांचाल, कुरू, मंडक)

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख हुआ है। ऐतरेय ब्राहमण में वर्णित वैराज्य को कुछ इतिहासकार गणराज्य मानते है। अथर्ववेद में वीतिहव्यों गणतंत्र का उल्लेख हैं, जो हैहयों की एक शाखा थी। पाणिनी प्राचीन भारत के गणराज्यों के विषय में मूल्यवान सूचना उपलब्ध कराते है। पाणिनी ने शूद्रक, मालव, अम्बष्ठ, आश्वायन,

मद्र, शीबी, यौधेय, कौशितकी, अंधक–वृष्णि, मद्र, भर्ग, दमनी, जानकी, ब्रम्हागुप्त आदि गणराज्यों का उल्लेख किया है। पाणिनी संघो को आयुधजीवि तथा कौटिलय ने शस्त्रोंपजीवी कहा है। पाणिनी ने संघ को राजतंत्र से स्पष्टतः भिन्न बताया है। रामायण में गणराज्यों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में पॉच गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख हैः– अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज। इन पॉचों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष 'कृष्ण' थे। आचारांगसूत में जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गयी है कि वे उन स्थानों पर न जाये जहॉ गणतंत्र का शासन हो। अवदान शतक में एक दक्षिण के राजा के प्रश्न के उत्तर में व्यापारियों ने कहा था कि हमारे यहॉ कुछ देश ऐसे है जहॉ राजा का शासन है और कुछ जगह गणतंत्रीय व्यवस्था है।[2]

बुद्धकाल में कुल 10 (दस) गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते है। इनमें से 8 वज्जि संघ के थे–

1. कपिलवस्तु के शाक्य– नेपाल की तराई में स्थित था। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी, दक्षिण व पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था।
2. सुमसुमार के मग्ग।
3. अलकप्प के बुलि।
4. केसपुत्र के कलाम।
5. रामग्राम के शाक्य।
6. कुशीनारा के मल्ल।
7. पावा के मल्ल।
8. पिप्पलिवन के मोरिय–

मोरिय गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। महावंश टीका से पता चलता है कि मोरिय जन हिमालय प्रदेश में जहॉ उन्होंने मोरों की कूक से गुन्जायमान स्थान में पिप्पलिवन नामक नगर बसा लिया। मोरो के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मोरिय कहे गये। 'मोरिय' शब्द से ही ''मौर्य'' बना है। चन्द्रगुप्त मौर्य इसी मौर्य परिवार में उत्पन्न हुआ थे। पिप्पलिवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुम्ही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है।[3]

9. मिथिला के विदेह।
10. वैशाली के लिच्छवी।

चन्द्रगुप्त मौर्य का जन्म गणतंत्र में हुआ था, अशोक के अभिलेखों में अनेक गणराज्यों का उल्लेख है। जिनमें योन, कम्बोज, राष्ट्रिक, अपरान्त, नामक, भोज, रठिक, आन्ध्र आदि प्रमुख है। रठिक एवं भोज का उल्लेख महाराजा खारवेल के हाथीगुम्फा लेख में भी है। मौर्ययुगीन गणराज्यों के कुछ सिक्के भी मिले है। यौधेय गणराज्य में मौर्योत्तर काल में प्रसिद्ध हुआ। उनका उल्लेख रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में है। कनिष्क, रूद्रदामन एवं समुद्रगुप्त ने यौधेयों को पराजित किया था। लिच्छवि गुप्तों के प्रारम्भिक उदय में सहायक थे। समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवि दौहित्र कहता था। महाभारत में आभीरों का वर्णन है। वे पश्चिमी राजस्थान के निवासी थे। प्रयाग प्रशस्ति में कुल 09 गणतंत्रों का उल्लेख है। जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खण्डहर पर टिमटिमा रहे थे। उन्हें समुद्रगुप्त ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये नौ गणराज्य निम्नलिखित थेः–

खरपरिक, प्रार्जुन, मालव, यौधेय, अर्जुनायन, काक, सनकानिक, आभीर एवं मद्रक।[3]

गण का अर्थ समूह से है। अतएव गणराज्य का अर्थ है–समूह संचालित राज्य प्रणाली। राजतंत्रातर शासन पद्धति के बीज अतीत की संस्थाओं में छिपे थे। समय बीतने पर वे न केवल पल्लवित हुए वरन् कुछ स्थानों पर सुदृढ़ बन गये।[4]

गणराज्यों की शासन पद्धति

गणराज्यों की वास्तविक शक्ति एक केन्द्रीय समिति या संस्थागार होती थी। शाक्य गणराज्य में राजाओं की संख्या 707 थी। एक पण्ण जातक में लिच्छवि गणराज्य की केन्द्रीय समिति 7707 राजा तथा इतने ही उपराजा सेनापति और कोषाध्यक्ष बताये गये है। शाक्यों के संस्थागार की संख्या 500 थी। केन्द्रीय समिति विचार विमर्श के पश्चात् ही कोई निर्णय लेती थी जैसे लिच्छवि गणराज्य में सेनापति खण्ड के पश्चात् सेनापति सिंह की नियुक्ति विचार–विमर्श के पश्चात् निर्वाचन के आधार पर किया गया। कुशीनारा के मल्लों ने गौतम बुद्ध की अन्तयेष्टि तथा उनकी धातुओं के विषय में अपने संस्थागार में विचार विमर्श किया था। संस्थागार में प्रत्येक सदस्य के बैठने की व्यवस्था आसनपन्नापक नामक अधिकारी करता था। परिषद में प्रस्ताव को प्रतिज्ञा कहते थे। इसे नियम पूर्वक रखने एवं पढ़ने को ज्ञप्ति कहते थे। प्रतिज्ञा की घोषणा भूमिष्ठ कहते थे। प्रतिज्ञा परिषद में स्वीकृत हो जाने पर संघ कर्म या कर्म (एक्ट) कहलाती थी। गुप्तमत प्रणाली की व्यवस्था थी। शलाका ग्राहक मतदान अधिकारी था। मत हेतु छन्द का प्रयोग किया जाता था।

इसके अलावा गणराज्यों में एक 'मंत्रिपरिषद' भी होती थी। जिसकी सदस्य संख्या चार से लेकर बीस तक होती थी। अट्टकथा में लिच्छवि संविधान का उल्लेख है।

बुद्धघोष की सुमंगल विलासिनी के अनुसार, वज्जिसंघ में आठ न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय अताकुलक अन्तिम होता था। जिसे दण्ड देने का अधिकार था। अन्य सातों न्यायालय अपराधी को मुक्त कर सकते थे। परन्तु दण्डित नहीं। राजा दण्ड देते समय पूर्व निर्णयों का अनुशरण (पवेनिपोट्ठक) करता था। नगर की रक्षा का भार नगरगुत्तिक पर था। उसे 'रात्रि का राजा' कहा जाता था। गणराज्यों में ग्राम पंचायते भी होती थी। लिच्छवियों के पास एक बड़ी सभा थी। एक बार उन्हीं के सभा में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को सम्मानित किया गया था। सभा ने ही यह आदेश पारित किया था कि ''आम्रपाली को विवाह करने का अधिकार नहीं हैं बल्कि सभी लिच्छवि पुरूष उसको प्राप्त कर सकते है। अतः वह नगर वधू बनकर रहे।'' लिच्छवि गणराज्य के रोजमर्रा का प्रशासन एक 09 सदस्य वाली छोटी समिति देखती थी। इन सभाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं था। दीघनिकाय के अम्बट्सुत्त में यह चर्चा मिलती है कि जब अम्बट्ठसुत्त नामक ब्राह्मण कपिलवस्तु में शाक्यों की सभा में गया तब सभा ने उसकी खिल्ली उड़ायी और सम्मान नहीं दिया था। अतः गण या संघ में क्षत्रियों का एकाधिकार था।

गणराज्यों के विनाश के कारण

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बुद्ध काल के कुछ गणराज्य अत्यन्त शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने सम कालीन राजतंत्रों का बड़ा प्रतिरोध किया था। देश भक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट–कूट कर भरी हुई थी। किन्तु वे राजतंत्रों के विरूद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके तथा अन्ततोगत्वा उनका पतन हुआ। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताये गये है।

काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों की स्वाधीनता का अन्त कर दिया जिसके फलस्वरूप उनका विलोप हो गया। किन्तु यह विचार तर्कसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है कि समुद्रगुप्त–कालीन गणराज्य नाममात्र के लिये उसकी प्रभुसता स्वीकार करते थे तथा उन्हें पर्याप्त आन्तरिक स्वायत्तता मिली हुई थी। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन काल में उच्चपदों का आनुवंशिक होना है। चूँकि प्राचीन ग्रन्थों में सर्वत्र राजतंत्र की ही प्रशंसा की गयी थी तथा राजा का पद देवी माता माना गया था। अतः गणराज्यों ने भी सुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना लाभकर समझा। गणराज्यों के शासक राजतंत्रों के अनुकरण पर महाराज तथा महासेनापति जैसी उपाधियॉ ग्रहण करने लगे। ये पद वंशानुगत रूप से चलने लगे। कुमारदेवी के उदाहरण से स्पष्ट है कि लिच्छवि गणराज्य की आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारिणी थी। क्रमशः गणराज्यों में सत्ता सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो गयी। अब राजतंत्रों से उनका कोई विभेद नहीं रह गया। इस प्रकार उनके शासन का जनतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। गणराज्यों की आपसी फूट तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति को भी न्यूनाधिक रूप से उनके पतन के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है।

निष्कर्ष

यद्यपि बुद्धकाल के कुछ गणराज्य अत्यन्त शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने समकालीन राजतन्त्रों का बड़ा प्रतिरोध किया था। देशभक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट–कूट कर भरी थी। गणराज्य शूरवीरता की परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन का काम करने वाले योग्य नेता होते थे। आपातकाल में ये लोग गणराज्य की रक्षा करने में समर्थ होते थे। वे बड़े अनुभवी तथा कार्य करने में कुशल, चतुर और चुश्त होते थे।

संदर्भ सूची

[1]. बी0डी0 महाजन – प्राचीन भारत का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 2015, पृष्ठ सं0–565।
[2]. पप्पू सिंह प्रजापत्य– प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, प्रकाशन वर्ष 2021 पृष्ठ–328।
[3]. के.सी. श्रीवास्तव–प्राचीन भारत का इतिहास प्रकाशन वर्ष 1995 पृष्ठ–106।
[4]. सौरभ चौबे– प्राचीन भारत प्रकाशन वर्ष 2020।
[5]. परमात्मा शरण– प्राचीन भारत में राजनैतिक विचार एवं संस्थाएं पृष्ठ–385।

Cite this Article:

फूलचन्द. *(2026).* ***प्राचीन भारत में गणराज्य.*** *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), 4(3), 54–56.*

Journal URL: *https://ijmrast.com/* ***DOI:*** *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v4i3.250*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJMRAST Published by Surya Multidisciplinary Publication.